न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/02/2024 प्रार्थना पत्र — दायर दिनांक 04.01.2024

उनवान

1. देवीलाल पिता उदा चमार आयु वयस्क निवासी सरोपा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)।

——अप्रार्थी

– : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट0 : –

निर्णय दिनांकः 18.06.2024

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरोपा के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1088, 1151, 1362/1092, 1364/1150 कुल किता 4 स्थित है जिस पर जाने का रास्ता 1152 में होकर जाते है। किन्तु रास्ता रेकार्डेड नहीं है इस रास्ते के अलावा आराजी पर जाने का रास्ता नहीं है। आराजी नम्बर 1152 बिलानाम दर्ज है इस आराजी में से 30 फीट चौडा व 9 मीटर लम्बा रास्ता दिलाया जावें। इस रास्ते का अंकन नक्शे में नहीं है जिससे हमारे नाम पर दर्ज की जाकर नक्शें में अंकन किया जावें। इस रास्ते का उपयोग प्रार्थी व उसका परिवार 30 वर्षो से अधिक समय से उपयोग कर रहे है गाडी ले जाने व आने जाने का एक मात्र रास्ता है।

यह कि दिनांक 24.12.2023 को प्रतिवादीगण को आराजी में रास्ता दर्ज करने के लिए कहा तो इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 24.12.2023 से एवं तत्पश्चात निरन्तर पैदा हो रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि मौजा सरोपा की आराजी नम्बर 1152 में 30 फीट चौडा व 9 मीटर लम्बा रास्ता मेरे नाम पर दर्ज किया जावें व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कपासन से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार कपासन द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिनका बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नक्शा मौका मय हदबंदी)

प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

अप्रार्थी राजस्थान सरकार है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

– पर्चा मौका दिनांक 15.03.2024 संलग्न है।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 1152 में से लम्बाई 20 मीटर, चौडाई 10 मीटर कुल 200 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी 389002 प्रति हैक्ट0 से 200 वर्ग मीटर भूमि की मालियत = 7780/– रूपये बनते है जिसका दुगुना 15560/– रूपये है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि मौजा सरोपा पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1151 है, में आने जाने, हेतु बिलानाम सरकारी भूमि आ0स0 1152 में से होकर रास्ता चाहा गया है। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार कपासन द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है, व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम पडत–2 दर्ज है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से 30 फीट तक रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सरोपा पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 1151 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 1152 में से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 200 वर्गमीटर है का जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2024 संलग्न है का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 3,89,002 रूपये प्रति हैक्ट0 से प्रस्तावित रास्ता 200 वर्गमीटर भूमि की कुल मालियत 7780/– रूपये का दुगुना 15560/– रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार पॉच सौ साठ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवायी जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके [illegible] रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार [illegible] तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कपासन को लिखा [illegible] शुद्धता [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.06.2024 को लिखा [illegible] जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:53:23 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव बडगूजर)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official